फरीदाबाद

मजदूर समाचार

राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 218 अगस्त 2006

कहत कबीर

किसानी- दस्तकारी की सामाजिक मौत को गति देने के लिये सामाजिक हत्या के नीति निर्माता ही किसानों-दस्तकारों के हित में पॉलिसियों की घोषणायें करते रहे हैं, घोषणायें कर रहे हैं।

मजदूरों को दिखाना ही नहीं (3)

गुत्थी उत्पादन छिपाने की..... चोरी में चोरी

✱ कभी- कभार के शोषण की बजाय नियमित शोषण ऊँच- नीच, अमीरी- गरीबी वाली समाज व्यवस्थाओं का आधार होता है। नियमित शोषण के लिये शोषण- तन्त्र आवश्यक होते हैं। और चूँकि शोषितों द्वारा शोषण का विरोध स्वाभाविक है, किसी भी शोषण- तन्त्र को नियमित दमन की आवश्यकता होती है। शास्त्र और शस्त्र की जुगलबन्दी के संग पृथ्वी पर दमन- तन्त्रों का श्रीगणेश हुआ। दमन- तन्त्र का ही दूसरा नाम, अधिक प्रचलित नाम सरकार है। ✱ दमन- तन्त्र की विशेषता यह है कि यह खर्चा माँगता है। सरकार के खर्च का आदि- स्रोत टैक्स है और हाथ उत्पादन के आदि- स्रोत, इसीलिये कर = हाथ, कर = टैक्स। अधिक समय नहीं हुआ, महलों- किलों में रहने वाले राजा- सामन्त सरकार थे और भूदासों से उपज का छठा हिस्सा ($16^2/_3$%) वसूलने का कानून था। आज विधायक- सांसद- अधिकारी वाली सरकार के खर्च की पूर्ति के लिये कुल उत्पादन व खपत का आधे से ज्यादा हिस्सा लिया जाता है। सरकारों द्वारा उपज- खपत का लगभग 70 प्रतिशत विभिन्न प्रकार के टैक्सों के रूप में वसूलने के कानून हैं। ✱ भूदासों द्वारा अपनी उपज का $83^1/_3$% रखना कानून अनुसार था। उत्पादकता में छलाँगें लगी हैं और आज मजदूर जो उत्पादन करते हैं उसका एक- दो प्रतिशत मजदूरों के हिस्से में आना कानून अनुसार है। बाकी के 98 प्रतिशत में शोषण- तन्त्र और दमन- तन्त्र में हिस्सा- बाँट होती है। ✱ कानूनी और गैर- कानूनी में चोली- दामन का साथ रहा है। प्रहरी, कोतवाल, मन्त्री द्वारा रिश्वत लेने के किस्से बहुत पुराने हैं। दरअसल दमन- तन्त्र रिश्वत की चर्बी के बिना चल ही नहीं सकते। इसलिये नगर- प्रान्त- देश के दायरों में कैद हो कर भ्रष्टाचार आदि को मूल समस्या मानना नादानी के सिवा और कुछ नहीं है। हाँ, गैर- कानूनी को मर्ज और कानून को दवा पेश कर कानून अनुसार दमन- शोषण को छिपाने का नुस्खा पुराना है, यह शुद्ध काँइयापन है। ✱ आज नई बात दमन- तन्त्र के संग- संग शोषण- तन्त्र में भी कानूनों का उल्लंघन, गैर- कानूनी कार्यों का बहुत- ही बड़े पैमाने पर होने लगना है। मण्डी- मुद्रा के साम्राज्य में कानूनों का यह अर्थहीन होना राजाओं- सामन्तों के अन्तिम चरण में कानूनों के अर्थहीन होने जैसा लगता है।

दिल्ली और इसे घेरे नोएडा, सोनीपत, बहादुरगढ, गुडगाँव, फरीदाबाद में फैक्ट्रियों में कार्य करते 70- 75 प्रतिशत मजदूरों को अब दस्तावेजों में दिखाना ही नहीं को विलाप की वस्तु की बजाय नई सम्भावनाओं से ओत- प्रोत के तौर पर देखना बनता है।

मण्डी- मुद्रा की गतिक्रिया के चलते, मण्डी- मुद्रा के दबदबे के चलते कानूनी/गैर- कानूनी में हुई इस उलट- फेर की अनिवार्यता के सन्दर्भ में यहाँ हम इन दो सौ वर्षों के दौरान मालिकाने में आये परिवर्तनों पर चर्चा आरम्भ करेंगे।

- उपभोग के लिये उत्पादन को बेदखल करते व्यापार व मण्डी के लिये उत्पादन ने सन् 1800 आते- आते फैक्ट्री- पद्धति के लिये उल्लेखनीय- निर्णायक जमीन तैयार की।
- व्यापार पर बन्धन ढीले करने के प्रयासों और निजी व परिवार के श्रम से मण्डी के लिये उत्पादन करने वालों की जुगलबन्दी ने जनतन्त्र- डेमोक्रेसी की बुनियाद रख कर इसके बारे में विभिन्न प्रकार के भ्रमों के जाल बुने थे। मजदूर लगा कर मण्डी के लिये उत्पादन वाली फैक्ट्री- पद्धति स्वयं में अत्यन्त निरंकुश है। फैक्ट्री के अन्दर जनतन्त्र के लिये कोई स्थान नहीं होता पर बाहर फैक्ट्री- पद्धति आमतौर पर जनतन्त्र के पुराने- नये भ्रम जालों को अपनी निरंकुशता ढँकने के लिये इस्तेमाल करती आई है।
- दूरदराज के व्यापार में बहुत मुनाफा था पर भारी लागत व खतरे थे। दूरदराज से नियमित व्यापार के लिये तीन- चार सौ वर्ष पूर्व कम्पनी स्वरूप उभरे- स्थापित हुये थे। लेकिन उत्पादन के लिये फैक्ट्री- पद्धति के आरम्भिक दौर में निजी मालिकाने- प्रायवेट प्रोपर्टी का बोलबाला था।
- सन् 1800 के आसपास फैक्ट्री स्थापित करने की लागत व उपलब्ध साधन उस पैमाने के थे कि एक व्यक्ति "अपने" धन से कारखाना स्थापित कर सकता- सकती था- थी। फैक्ट्री मालिक, कारखानेदार शब्द प्रचलन में आये। डेढ- दो सौ वर्ष पहले फैक्ट्री- उत्पादन में फैक्ट्री मालिकों का बोलबाला था।
- फैक्ट्री मालिक भी राजाओं की तरह एक सामाजिक सम्बन्ध के प्रतिनिधि थे। लेकिन राजाओं की ही तरह कारखानेदार भी स्वयं को सर्वेसर्वा मानने की गलतफहमी के शिकार थे।
- मजदूर लगा कर मण्डी के लिये उत्पादन वाली फैक्ट्री- पद्धति शोषण की मात्रा में छलाँग तो लिये ही थी, शोषण में लगातार वृद्धि भी फैक्ट्री- पद्धति के चरित्र में है। काम का बोझ व काम की रफ्तार लगातार बढाना फैक्ट्री- पद्धति में अन्तर्निहित है। फैक्ट्री- पद्धति अपने संग नई- नई मशीनों की सतत् बाढ लिये है – कोई ठहराव नहीं, कोई चैन नहीं, होड़ ही होड़।
- फैक्ट्री स्थापित करने और फैक्ट्री संचालन की लागत लगातार बढी। नई व बड़ी- बड़ी मशीनें, नई व बड़ी- बड़ी इमारतें, अधिक कच्चा माल, ज्यादा ईंधन, गोदाम..... फैक्ट्री मालिक बनना, फैक्ट्री मालिक बने रहना अधिकाधिक कठिन होने लगा।
- 1850 आते- आते फैक्ट्री की स्थापना- संचालन की लागत इतनी बढ गई कि एक की बजाय दो- चार- छह द्वारा मिल कर यह करने का सिलसिला गति पकड़ने लगा। सन् 1900 आते- आते फैक्ट्री- उत्पादन में इकन्नी- दुअन्नी की हिस्सेदारी वाले संस्थान, ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनियाँ उल्लेखनीय- निर्णायक भूमिका में आये। मजदूर लगा कर मण्डी के लिये उत्पादन वाले सामाजिक सम्बन्ध के प्रतिनिधि फैक्ट्री मालिकों की बजाय फैक्ट्री डायरेक्टर- कम्पनी डायरेक्टर बनने लगे।
- सामाजिक प्रक्रिया की गति में वृद्धि के अन्दाजे के लिये राजाओं और फैक्ट्री मालिकों को एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। राजाओं को भूत बनने में, विगत की वस्तु बनने में सैंकड़ों वर्ष लगे पर फैक्ट्री मालिकों का विलोप चन्द दशकों में ही होने लगा।
- सामाजिक मौत के रूबरू राजाओं द्वारा अय्याशी में शरण लेने की ही तरह फैक्ट्री मालिकों ने भी अपने मिटने से सामना होने पर अय्याशी की शरण ली। दोनों के किस्से बहुत हैं पर अय्याशी ने उनकी सामाजिक मौत की गति को बढाने का ही काम किया।
- राजा, पर राजा नहीं! फैक्ट्री मालिक, पर फैक्ट्री मालिक नहीं! अपने- अपने अन्तिम दौर में राजाओं द्वारा चोरी, फैक्ट्री मालिकों द्वारा चोरी सामान्य बातें बनी।

उत्पादन क्षेत्र में इकन्नी- दुअन्नी की हिस्सेदारी वाले संस्थान, ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनी बनने के साथ आरम्भ हुये फैक्ट्री मालिकों के डायरेक्टरों में रूपान्तरण को इन सौ वर्षों के दौरान हजारों शेयरहोल्डरों, कर्ज की बढती भूमिका ने बहुत बदला है। आज छाये सफेद अन्धेरे की इस पृष्ठभूमि पर आगे चर्चा करेंगे। (जारी)

दर्पण में चेहरा-दर-चेहरा

चेहरे डरावने हैं.... आईना ही नहीं देखें या फिर हालात बदलने के प्रयास करें?

सेज मैटल मजदूर : " प्लॉट 123 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में हम 200 मजदूर रात को 11 घण्टे की शिफ्ट और दिन में 12 घण्टे की शिफ्ट में गन मैटल, स्टेनलैस स्टील आदि की ढलाई करते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। इधर कम्पनी उत्पादन को दुगुना करने के लिये इनसेन्टिव स्कीम पर जोर दे रही है। इनसेन्टिव स्कीम थोपने के लिये कम्पनी ने जून की तनखा में से ओवर टाइम के 200 से 700 रुपये तक काट लिये। काम का बोझ बढाने वाली स्कीम के विरोध में 8 जुलाई को फाउन्ड्री वरकरों ने एक घण्टे काम बन्द किया।"

बिड़ला वी एक्स एल वरकर : " 14/5 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री से काम नहीं है कह कर मई में 450 मजदूरों को निकालने के शीघ्र बाद 200 वरकर भर्ती कर लिये और उनसे रोज 16-16 घण्टे काम करवाया जा रहा है। इधर जून से कम्पनी ने ओवर टाइम का भुगतान दुगुनी की ज़गह सिंगल दर से कर दिया। फैक्ट्री के 50-60 स्थाई मजदूरों ने सिंगल रेट पर ओवर टाइम करने से इनकार कर दिया है – वैसे मार्च से किये ओवर टाइम के पैसे कम्पनी ने आज 19 जुलाई तक नहीं दिये हैं। कैजुअल वरकरों को मई की तनखा 10 जुलाई को जा कर दी और जून की आज 19 जुलाई तक नहीं दी है।"

ओरियन्ट फैन मजदूर : "प्लॉट 59 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में ठेकेदार के जरिये रखे 100 से ज्यादा वरकरों को 8 घण्टे के 50 रुपये के हिसाब से पैसे देते हैं – ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। चोट लगने पर इलाज नहीं करवाते और ठेकेदार ऊटपटाँग भी बोलता है। कम्पनी के इस टूल रूम में 12 घण्टे की एक शिफ्ट है। जो 42 स्थाई मजदूर हैं उन्हें ओवर टाइम के पैसे दुगुनी दर से और ठेकेदार के जरिये रखे वरकरों को सिंगल रेट से देते हैं।"

प्रणव विकास वरकर : " प्लॉट 45-46 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में तीन ठेकेदारों के जरिये रखे 125 मजदूरों से जबरन ओवर टाइम काम करवाते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं। ठेकेदार महीने में कभी दो तो कभी तीन हाजिरी काट लेते हैं।"

आर. के. फोरजिंग मजदूर : "प्लॉट 25 सैक्टर-4 स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। ठेकेदार के जरिये रखे 60 वरकरों में हैल्पर की तनखा 1800 और ऑपरेटर की 2000 रुपये – ई.एस.आई. व पी.एफ. 4-5 के ही। जिनका पी.एफ. है उन्हें भी सिंगल मिलता है – ब्रेक दिखा देते हैं जबकि वरकर लगातार काम करते रहते हैं। सुपरवाइजर रात को दारू पी कर गाली देता है। फैक्ट्री में झालानी टूल्स का माल बनता है – झालानी टूल्स की फैक्ट्रियाँ कई साल से बन्द पड़ी हैं।"

ब्राइट ब्रॉदर्स वरकर : "प्लॉट 16-17 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में दो ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों की सँख्या इस समय 100 है, काम बढने पर 400 हो जाती है। स्थाई मजदूर 150 हैं। ऑपरेटर को ठेकेदार हैल्पर ग्रेड देते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से और 16 घण्टे रोकते हैं तब रोटी के पैसे भी नहीं देते। भविष्य निधि राशि में तो कमाल ही करते हैं। हर महीने तनखा से 260 रुपये पी.एफ. के नाम पर काटते हैं। ठेकेदारों के जरिये रखे जिन वरकरों को लगातार काम करते तीन साल हो गये हैं उनकी भविष्य निधि राशि मात्र 1023 रुपये निकली जबकि यह कम से कम 18,720 रुपये तो होनी ही चाहिये थी। ई.एस.आई. कार्ड देते ही नहीं। हाँ, मैनेजर गाली देता है। यह फैक्ट्री व्हर्लपूल कम्पनी की प्लास्टिक डिविजन रही है।"

स्टोकर कॉनकास्ट मजदूर : "प्लॉट 7 एच इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में ताम्बा-पीतल, सोना-चाँदी की लगातार ढलाई करने वाली मशीनें बनती हैं। यह मशीनें तो ज्यादा नहीं बनती पर इन में लगते ग्रेफाइट के हीटिंग एलीमेन्ट का उत्पादन बहुत होता है। सही आकार व नाप के लिये ग्रेफाइट की मशीनिंग की जाती है और इसके दौरान बहुत कार्बन उड़ती है। पूरी फैक्ट्री काली हुई पड़ी है, खाँसो तो काला निकलता है। कम्पनी मास्क नहीं देती, गुड़ नहीं देती, वर्दी नहीं देती और न कपड़े धोने के लिये साबुन – सिर्फ हाथ धोने को साबुन देते हैं। महीने के तीसों दिन काम – रविवार को 8 से 5 और बाकी दिनों सुबह 8 से साँय 7 बजे तक। एक घण्टा कम्पनी भोजन व चाय अवकाश का काट लेती है। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से तो करते ही हैं, यह सिंगल दर भी सिर्फ बेसिक की, पूरी तनखा की नहीं। हैल्पर की मई माह तक 1500 रुपये तनखा थी, अब 1800 है। यहाँ फैक्ट्री दो साल से है और इससे पहले कई वर्ष से एन एच-5 में चल रही थी पर ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं थी। छह माह से ई.एस.आई. तो लागू कर दी है पर पी.एफ. अभी भी नहीं है।"

जगसन पाल फार्मास्युटिकल्स वरकर : " 12/4 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में कैजुअल वरकर को 8 घण्टे के 64 रुपये देते हैं, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं, महीने के तीसों दिन काम, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। वैसे कहने को स्थाई मजदूरों को ओवर टाइम का भुगतान दुगुनी दर से करते हैं पर यह वास्तव में सिंगल रेट से ही पड़ता है क्योंकि बेसिक व डी.ए. के 2100 रुपये ही हैं जबकि गृह भत्ता 1500 रुपये। हर वर्ष जुलाई में देय डी.ए. तो कम्पनी पाँच वर्ष से दे ही नहीं रही, इधर जनवरी 06 से देय डी.ए. भी जून माह की तनखा तक नहीं दिया है। स्थाई मजदूरों को वर्ष में दो वर्दी दी जाती थी पर पाँच वर्ष से यह नहीं दी हैं। बच्चों की किताब-कॉपी के लिये हर वर्ष कम्पनी कुछ राशि देती रही है पर इस साल इसके लिये आवेदन लेने से ही मैनेजमेन्ट ने इनकार कर दिया है।"

श्री श्याम कार्टन मजदूर : "सैक्टर-25 से यह फैक्ट्री डबुआ में नवादा रोड़ पर ले गये हैं। हैल्परों की तनखा 1400-1500 रुपये। ई.एस.आई. व पी.एफ. के पैसे तनखा में से काटते हैं। ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते। पैसे निकालने के लिये भरे पी.एफ. फार्म को भविष्य निधि कार्यालय यह कह कर लौटा देता है कि कम्पनी ने पैसे जमा नहीं किये हैं।"

वेलोसिटी ट्रान्समिशन वरकर : " प्लॉट 181 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। रविवार को भी जबरन काम करवाते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। फैक्ट्री में गाली, मारपीट – सी.एन सी प्रोग्रामर बहुत दुर्व्यवहार करता है। हैल्पर की तनखा 1500 और ऑपरेटर की 2000-2500 रुपये। स्थाई मजदूर कोई नहीं है और ई.एस.आई. व पी.एफ. हम 40 में से 2-3 के ही हैं। फैक्ट्री में मारुति, टाटा आदि कारों के रनिंग एक्सल बनते हैं जिन्हें जी के एन ड्राइवलाइन को देते हैं।"

नूकेम मशीन टूल्स मजदूर : " 20/6 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में हमें फरवरी 05 से जून 06 तक की तनखायें, 17 महीनों की तनखायें नहीं दी हैं। इनके अलावा 8 महीनों की तनखायें कम्पनी ने विवाद का विषय बना कर नहीं दी हैं और मामला अदालत में है। लेकिन फरवरी 05 से जून 06 के दौरान के 17 महीनों की तनखायें तो किसी विवाद की वस्तु नहीं हैं पर फिर भी कम्पनी ने यह तनखायें नहीं दी हैं। हमारे अनेकानेक प्रयासों के बावजूद बकाया तनखायें बढती गई हैं। इधर 17 महीनों की तनखाओं के लिये हम श्रम विभाग में गये हैं – 20 जुलाई की तारीख थी, 25 जुलाई की नई तारीख दे दी। कम्पनी ने सन् 2000 से वर्दी-जूते, एल टी ए, सर्विस अवार्ड, क्लब के पैसे भी नहीं दिये हैं।"

प्रिसिजन स्टैम्पिंग वरकर : " प्लॉट 106 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट महीने के तीसों दिन हैं। फैक्ट्री में 200 स्थाई, 400 कैजुअल और ठेकेदारों के जरिये रखे 400 वरकर काम करते हैं। स्थाई को ओवर टाइम के पैसे दुगुनी दर से और बाकी सब को सिंगल रेट से। कैजुअलों को 8 घण्टे के 80 रुपये के हिसाब से और ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों की तनखा 1800-2000 रुपये। ई.एस.आई. व पी.एफ. के नाम से पैसे काटते हैं पर कार्ड व पर्ची सिर्फ स्थाई मजदूरों को देते हैं। ड्युटी शुरू होना बिजली का बटन दबाने जैसा है – काम में फौरन लग जाओ और करते रहो, जलते रहो।"

कानून हैं शोषण के लिये
छूट है कानून से परे शोषण की

कानून : ●37–40 दिन काम करने पर 30 दिन की तनखा, अगले महीने की 7–10 तारीख तक दे ही देना; ●8 घण्टे की ड्युटी, तीन महीने में 50 घण्टे से ज्यादा ओवर टाइम काम नहीं, ओवर टाइम का भुगतान वेतन की दुगुनी दर से; ● हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम तनखा अकुशल मजदूर-हैल्पर के लिये 8 घण्टे की ड्युटी और महीने में 4 छुट्टी पर जनवरी 06 से *2447* रुपये *32 पैसे* है, 8 *घण्टे काम के लिये* 94 रुपये 13 पैसे। दिल्ली में 3271 रुपये हैल्पर की तनखा और 8 घण्टे ड्युटी के बदले अकुशल मजदूर को 125 रुपये 80 पैसे ।

इनोटैक इंजिनियरिंग मजदूर : " 12/6 मथुरा रोड़ के बगल में गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ स्थित यह फैक्ट्री अभी अप्रैल में दिल्ली से यहाँ आई है। कम्पनी ने 2002 तक की ही भविष्य निधि राशि जमा की है – पी.एफ. के दिल्ली कार्यालय में हम ने शिकायतें की हैं। यहाँ हैल्परों की तनखा 1700–1800 रुपये और ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं। फैक्ट्री में बड़ी–बड़ी चेन बनती हैं, रोज 12 घण्टे की ड्युटी है – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से।"

बेलमेक्स मजदूर : " प्लॉट 125 सैक्टर–24 स्थित फैक्ट्री में काम करते 250 वरकरों में 30–40 स्थाई हैं और बाकी को 7 ठेकेदारों के जरिये रखा है जिनमें हैल्पर की तनखा 1600 तथा ऑपरेटर की 2200 रुपये – ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं।"

ओसवाल प्रिन्टिंग वरकर : " 6 सैक्टर–6 स्थित फैक्ट्री में 200 मजदूर 12–12 घण्टे की दो शिफ्ट में। प्रतिदिन 12 घण्टे पर महीने के 2500 रुपये – ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं।"

बी के जी मैटल प्रोसेसर्स मजदूर : " प्लॉट 33 व 36 सैक्टर–4 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की तनखा 1600–1700 और ऑपरेटरों की 1800–2000 रुपये। एक शिफ्ट 12 घण्टे की – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से।"

सिकन्द लिमिटेड वरकर : "61 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में मई की तनखा 25 जून को जा कर दी और जून का वेतन आज 13 जुलाई तक नहीं दिया है।"

हरियाणा ग्लोबल मजदूर : " 5 बी नॉर्दरन कम्पलेक्स, 20/3 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में 12½ घण्टे की शिफ्ट तो कर ही रखी है, फैक्ट्री गेट पर ताला लगा कर जबरन 16 घण्टे रोक लेते हैं। हैल्पर की तनखा 2000 रुपये और ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। वेतन दो किस्तों में देते हैं। फैक्ट्री में 250 मजदूर काम करते हैं पर ई.एस.आई. व पी.एफ. 60–70 के ही हैं।"

ओरफिक डाइंग वरकर : " प्लॉट 126 व 121 सैक्टर–24 स्थित फैक्ट्री में 12–12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। प्रतिदिन 12 घण्टे पर महीने के 2700 रुपये और यह भी देरी से। जून की तनखा आज 15 जुलाई तक नहीं दी है।"

ई.एस.आई..... (पेज चार का शेष)

बाद नम्बर आया और इस वर्ष 20 जनवरी को ऑपरेशन हुआ। मेडिकल डॉक्टरों द्वारा करवाई जाँच–पड़ताल के बिल दो नम्बर वाली ई.एस.आई. डिस्पैन्सरी द्वारा तैयार करवा कर भुगतान के लिये तीन नम्बर वाले अस्पताल में जमा करवाने में चक्कर पर चक्कर काटने पड़े। कर्मचारी के अधिकारी को शिकायत की। पूछने पर बिलों में कुछ कमी बताई तो लिख कर देने को कहा। जो लिख कर दी वह कमी दूर कर दी पर फिर भी बिल नहीं लिये – बिलों को फेंक देती थी। बड़े डॉक्टर को शिकायत की तो उन्होंने अधिकारी से पूछा कि जब सब काम पूरा है तो बिल ले क्यों नहीं रहे? अधिकारी ने बिल ले लिये, रेट देखे, कुछ के काट कर नये डाल दिये और फिर पर्ची बनाने वाले को बाकी के देखने की कह कर मुझे कहा कि जाओ तुम्हारा बिल जमा हो गया है। दो हफ्ते बाद भुगतान लेने गया तो पहले वाली मैडम बोली कि बिल चण्डीगढ नहीं भेजे हैं – लिख कर दो कि देरी क्यों की! क्या लिख कर दें ? मैडम कहती है कि पैसे तो हम से ही लोगे, मेडिकल (एम्स) वाले थोड़े न देंगे.... जाँच–पड़ताल के बिलों का भुगतान पाँच महीनों बाद भी नहीं किया है। इधर दवाई के बिलों को जमा करवाने के लिये चक्कर.... अब पर्ची बनाने वाले को बिलों की जाँच का जिम्मा भी सौंप दिया गया है और उसके यहाँ लाइन लगी रहती है। कितनी दिहाड़ी तोड़ूँ ? दुर्व्यवहार और चक्करों से परेशान हो कर लड़कियाँ भी ई.एस.आई. अस्पताल जाने से आनाकानी करने लगी हैं।"

और, सरकारी अस्पताल

56 वर्ष पूर्व मात्र 25 हजार की आबादी के लिये बना फरीदाबाद का जिला अस्पताल आज 15 लाख की आबादी को झेल रहा है। जर्जर इमारत की जगह नई के लिये 25 वर्ष पूर्व नींव का पत्थर रखा गया जिसके दस साल बाद निर्माण शुरू हुआ। चार वर्ष में निर्धारित कार्य का पाँचवाँ हिस्सा पूरा कर काम बन्द कर दिया गया। इस बी.के. अस्पताल में 38 वर्ष पहले 17 डॉक्टर थे और आज भी 17 ही हैं। इन 17 में से औसतन डेढ तो हर रोज न्यायालय में खड़े रहते हैं। वी.आई.पी. ड्युटी पर भी रोज ही कुछ डॉक्टर व स्टाफ रहते हैं। बी.के. में नर्सें 68 होती थी, वे घट कर अब 34 रह गई हैं.... इधर हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट बढते–बढते 546 करोड़ रुपये से अधिक का हो गया है – वर्ष में प्रान्त के प्रति व्यक्ति 260 रुपये।

(जानकारी "मजदूर मोर्चा" के 16–31 जुलाई 06 अंक से ली है।)

जी 4 एस

सेक्युरिटी गार्ड : "पहले कम्पनी का नाम ग्रुप फोर था, फिर फ्लेकन किया और अब जी 4 एस है। भारत में कम्पनी का मुख्यालय पंचवटी, गुड़गाँव में है और यहाँ करीब नब्बे हजार गार्ड भर्ती कर रखे हैं।

" ग्रुप फोर उर्फ जी 4 एस में भविष्य निधि के मामले में खुली गड़बड़ी की जाती है। कम्पनी ई.एस.आई. व पी.एफ. के प्रावधान सिर्फ बेसिक वेतन पर लागू करती थी। इधर ई.एस.आई. तो बेसिक व डी.ए. पर लागू कर दिया है परन्तु पी.एफ. अब भी सिर्फ बेसिक पर ही है। गार्ड की बेसिक तनखा 1200 रुपये है और इसी पर पी.एफ. है – नब्बे हजार गार्डों के साथ प्रतिमाह यह किया जा रहा है, दस्तावेजों में दिखाया भी जा रहा है।

"अन्य कम्पनियों की ही तरह जी 4 एस कम्पनी भी जो दस्तावेजों में नहीं दिखाती वह और भी बड़ा घोटाला है। प्रतिमाह गार्ड 100–200–240 घण्टे ओवर टाइम काम करते हैं पर कम्पनी ओवर टाइम दिखाती ही नहीं। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से किया जाता है। गार्ड महीने के तीसों दिन काम करते हैं। महीने में 30 हाजिरी के संग 30 ओवर टाइम की हाजिरी भी हो जाती हैं।

"जी 4 एस कम्पनी दो पे–स्लिप देती है। एक पे–स्लिप में महीने के 26 दिन और 8 घण्टे प्रतिदिन ड्युटी के हिसाब से 2447 रुपये तनखा दिखाई जाती है। इस पे–स्लिप में अब ई.एस.आई. 2447 रुपये पर और पी.एफ. 1200 रुपये पर काटते हैं। दूसरी पे–स्लिप में ओवर टाइम होता है जिसे कभी किलोमीटर दिखाते हैं, कभी कन्वेयन्स, कभी कुछ और दिखाते हैं – ओवर टाइम के तौर पर कभी नहीं दिखाते। दूसरी वाली पे–स्लिप में जो राशि होती थी उसे पूरी दे देते थे पर इधर उसमें से ई.एस.आई. के नाम पर पैसे काटने लगे हैं। गार्डों को कानून अनुसार ओवर टाइम के 40 करोड़ रुपये के करीब प्रतिमाह बनते हैं – जी 4 एस कम्पनी/मैनेजमेन्ट हर महीने गार्डों के लगभग 20 करोड़ रुपये ओवर टाइम के हड़पती है।

"जी 4 एस अधिकारी गार्डों को 36 घण्टे लगातार ड्युटी करने को भी मजबूर करते हैं और उस दौरान के लिये रोटी के पैसे भी नहीं देते। कम्पनी वर्ष में दो जोड़ी वर्दी की बात करती है पर मैनेजमेन्ट साल में एक जोड़ी ही देती है।"

महीने में एक बार छापते हैं, 5000 प्रतियाँ फ्री बाँटते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें, अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

जय विजय इंजिनियरिंग मजदूर : " सोहना रोड़, सरूरपुर स्थित फैक्ट्री में रेलवे के नट–बोल्ट बनते हैं और यहाँ मजदूरों की तनखा 1700–1800 रुपये है। ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं।"

बातें यह भी

जी.पी.आई. एल. मजदूर : " 20/6 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री को अचानक 30 जून को बन्द कर मैनेजमेन्ट ने रातोंरात मशीनें निकाल ली। कम्पनी के डायरेक्टर विद्या भूषण और सुखदेव बराड़ हैं। जापान, इटली को ऑटो पार्ट्स निर्यात करती फैक्ट्री में हम बहुत थोड़े स्थाई मजदूर बचे थे। हम से इस्तीफे लिखवा कर मैनेजमेन्ट ने 12 दिन अनुसर हिसाब दिया जबकि कानून कम से कम 32 दिन का है। इस उम्र में अब हम कहाँ जायें? बच्चे भी हैं। क्या करें?"

स्कोर्पियो.एपरेल्स (नित्या) वरकर : " बड़कल मोड़ के पास मथुरा रोड़ पर स्थित फैक्ट्री के लिये भर्ती सी- 30 ओखला फेज- 1 में की जाती है और राशन कार्ड ले जाना पड़ता है। सुबह 9 से रात 8 बजे की शिफ्ट में 500 के करीब महिला मजदूर हैं। फैक्ट्री आने- जाने में भारी परेशानी होती है – जो मासिक ऑटो करती हैं वे एक ऑटो में 10- 12 ठूँसी हुई यात्रा करती हैं। कम्पनी ने बसों का प्रबन्ध नहीं किया है। आमतौर पर रविवार को भी ड्युटी करनी पड़ती है। बरसों से लगातार काम कर रहियों के भी ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं। कम्पनी को सिर्फ काम से मतलब है – पानी/पेशाब के लिये टोकन लेना पड़ता है। एक विभाग में एक टोकन। माहवारी के दौरान महिला मजदूरों को भारी दिक्कत होती है। बायर जब फैक्ट्री आते हैं तब कुछ महिलाओं की छुट्टी कर देते हैं, कुछ महिलाओं को फैक्ट्री में छिपा देते हैं। जिन महिला मजदूरों को दिखाते हैं उन्हें बोलते हैं कि पूछने पर कहना की कोई दिक्कत नहीं है।"

आरती ग्रेफाइट मजदूर : " प्लॉट 76 सैक्टर- 25 स्थित फैक्ट्री में रोज 12 घण्टे की ड्युटी में कीटनाशक दवा बनाने के दौरान हम जहर खाते हैं। कम्पनी गुड़ तक नहीं देती। हैल्पर की तनखा 1700 और कारीगर की 2300 रुपये। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। ई.एस.आई. कार्ड मात्र 3 मजदूरों को दिये हैं। मई और जून की तनखायें हमें आज 15 जुलाई तक नहीं दी हैं।"

पोलीमेडिक्योर वरकर : " 104 सैक्टर- 59 स्थित फैक्ट्री में दवा- ग्लुकोज- रक्त चढाने के उपकरण बनते हैं। पानी- पेशाब के लिये मजदूरों को अनुमति लेनी पड़ती है। फैक्ट्री में चौथी मंजिल पर महिला व पुरुष मजदूरों के लिये अगल- बगल में पेशाबघर बना रखे हैं। पेशाबघर पर गार्ड चक्कर लगाते रहते हैं। महिला मजदूरों को दो होने पर ही जाने देते हैं। उत्पादन का भारी दबाव है और सुपरवाइजर बड़ी मुश्किल से पेशाबघर जाने की अनुमति देते हैं। महिला मजदूरों को कुछ ज्यादा ही परेशानी होती है। इधर जुलाई- अन्त में एक महिला मजदूर को सुपरवाइजर ने टॉयलेट जाने की इजाजत नहीं दी – महिला मजदूर ने विभाग में ही पेशाब कर दिया। पोलीमेडिक्योर मैनेजमेन्ट ने हालात में परिवर्तन करने की बजाय महिला मजदूर को नौकरी से निकाल दिया। तीन वर्ष पहले ऐसी ही परिस्थितियों में एक महिला मजदूर ने विभाग में टट्टी कर दी थी।"

वी आर एस लिया एस्कोर्ट्स मजदूर : " अब सैक्टर- 24 में एक फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। मुझे क्वालिटी कन्ट्रोल विभाग में इन्सपैक्टर के पद पर रखा है पर तनखा मात्र 2200 रुपये देते हैं। मुझे ही हैल्पर के लिये निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं देते तो बाकी की तो बात ही क्या। फैक्ट्री में ई.एस.आई. व पी.एफ. किसी मजदूर की नहीं हैं। एस्कोर्ट्स में लीडरों को खूब भुगता है। कानूनों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं पर सरकार कुछ नहीं करती। हम मजदूरों को खुद ही कदम उठाने होंगे पर अनुभवों को ध्यान में रख कर।"

ई.एस.आई.

अप्रैल 04- मार्च 05 के दौरान हरियाणा क्षेत्र से ई.एस.आई. को 94 करोड़ 65 लाख रुपये की आमदनी हुई और इस दौरान यहाँ 43 करोड़ 61 लाख रुपये खर्च किये गये। एक वर्ष में ई.एस.आई. कारपोरेशन ने हरियाणा क्षेत्र से 51 करोड़ 4 लाख रुपये कमाये। व्यापक भ्रष्टाचार और अपव्यय के संग कमाई.... हरियाणा क्षेत्र से एक वर्ष में 94 करोड़ 65 लाख एकत्र करना, 43 करोड़ 61 लाख खर्च करना और 51 करोड़ 4 लाख रुपये लाभ को ई.एस.आई. द्वारा मजदूरों की सेवा के नाम पर लूट ही कहा जा सकता है।

ई.एस.आई. कर्मचारी : " खर्च कम करने के सिलसिले में इधर फरीदाबाद में कार्यरत 20 ई.एस.आई. डिस्पैन्सरियों को जोड़- तोड़ कर 9 बना दिया है। पच्चीस वर्ष पूर्व 2000 बीमाकृत व्यक्तियों पर 2 क्लर्क थे, आज 35 हजार पर एक है। अगर सही काम करो तो 24 घण्टे लगे रहो तो भी पूरा नहीं हो। ई.एस.आई. के अपने नियमों के अनुसार जहाँ 10- 12 कर्मचारी होने चाहियें वहाँ एक है ..... बीमारों को पंक्ति- दर- पंक्ति लगानी पड़ती हैं। फरीदाबाद में फैक्ट्रियों में एक्सीडेन्टों के 100 मामले प्रतिमाह तो ई.एस.आई. में आ ही जाते हैं जिनमें अधिकतर में मजदूरों के हाथ कटे होते हैं। चिकित्सकों व कर्मचारियों की भारी कमी के कारण बीमार- घायल मजदूरों को अतिरिक्त परेशानियाँ होती हैं।"

(बाकी पेज तीन पर)

ई.एस.आई. कार्ड वाला मजदूर : "मैं, बुद्धा खाँ, सैक्टर- 24 स्थित जी के एन ड्राइवलाइन फैक्ट्री में ठेकेदार के जरिये रखा गया वरकर हूँ। तीन नम्बर वाले ई.एस.आई. अस्पताल ने मेरी पत्नी के पित्त की थैली में पत्थरी बताई और दिल्ली मेडिकल (एम्स) को रेफर कर दिया। वहाँ दो साल

बन्दी वाणी (10)

अमरीका सरकार ने "अपने" बीस लाख लोगों को सजा दे कर और आठ लाख को विचाराधीन कैदी के रूप में बन्दी बना रखा है। यूँ तो सम्पूर्ण संसार ही जेलखाने में ढाल दिया गया है, अधिकाधिक ढाला जा रहा है, फिर भी सरकारों के कारागारों में बन्द हमारे बन्धुओं पर जकड़ हम से अधिक होती है। अमरीका में कैलिफोर्निया प्रान्त की एक जेल में बन्द गैरी हॉलफोर्ड का एक पत्र इधर हमें मिला है।

गैरी ने नागरिक अधिकारों के सन्दर्भ में कैलिफोर्निया प्रान्त के पचपन हजार जेल अधिकारियों- कर्मियों के खिलाफ प्रत्येक अधिकारी- कर्मी के विरुद्ध अदालत में मुकदमा दायर किया है। गैरी ने विश्व की अधिकतम भीड़भाड़ वाली कारागार व्यवस्थाओं में से एक, कैलिफोर्निया प्रान्त जेल व्यवस्था में तकलीफदायक अपर्याप्तताओं और खुली धोखाधड़ी के विवरण दिये हैं। उन्होंने कम से कम 28 अलग- अलग मामलों में संवैधानिक अधिकारों, संघीय न्यायालय आदेशों और अन्तर्राष्ट्रीय संधियों व समझौतों के उल्लंघन के दस्तावेजी सबूत एकत्र किये हैं। गैरी कहते हैं कि वे मात्र सतह को कुरेद रहे हैं.... अमरीका के कैलिफोर्निया प्रान्त की जेलों में हर प्रकार के दुर्व्यवहार, दुराचार का बोलबाला है : धर्म के आधार पर उत्पीड़न, अपंगता के आधार पर उत्पीड़न, आवश्यक चिकित्सा से इनकार, पर्यावरण नियमों- कानूनों का उल्लंघन....

गैरी के अपने परिवार में से कोई जीवित नहीं बचा है। उन्होंने जो मुकदमा प्रान्त के समस्त जेल अधिकारियों- कर्मियों के खिलाफ दायर किया है उसका उनकी कैद की अवधि कम करने से कोई वास्ता नहीं है बल्कि उन्हें बदले की कार्रवाई का खतरा है। कानून अनुसार देय दवा गैरी को मना कर दी गई हैं और जेल में हत्या का खतरा है। जिस बात ने गैरी को मुकदमा दायर करने को मजबूर किया वह बच्चों के चेहरे हैं जिन्हें वे अपनी तिमाही छूट के दौरान देखते हैं। बच्चों में बहुतों ने समर्पण कर दिया है, उनकी आँखों में 'रक्तहीन मृत्यु' का अहसास है, वे ऐसे दिखते हैं आया उन्होंने मान लिया हो कि उन्हें जेल में बन्द होना पड़ेगा.....

गैरी का पता है : Gary Hallford, T-58516, C.S.P.-Solano, 17-211L, P.O. Box 4000, Vacaville, CA 95696-4000, U.S.A. और मुकदमें में गैरी के समर्थन में केस नम्बर CIV. S-06-1081 GEB GGH P का हवाला दे कर इस पते पर लिख सकते हैं :
Clerk of the Court, U.S. District Court,
Eastern District of California,
501 "I" Street, Suite 4-200,
Sacramento, CA 95814-2322, U.S.A

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन.आई.टी. फरीदाबाद–121001

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। **RN 42233** पोस्टल रजिस्ट्रेशन **L/HR/FBD/73**
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी–546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।